भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1969

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1969. श्री सुनील बोसः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर कर्नाटक राज्य के लिए, स्वीकृत, वितरित तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख औद्योगिक राज्य तमिलनाडु में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या तथा उनसे सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चामराजनगर और मैसूर जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) चूंकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, अतः इसमें बजट का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियां सृजित मांग तथा राज्यों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृत ऋणों के आधार पर संवितरित की जाती हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत इसके प्रारंभ अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संवितरित एवं उपयोग की गई मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(ख) मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान स्थापित पीएमईजीपी इकाइयों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने हेतु एक तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से पीएमईजीपी का मूल्यांकन कराया, जिनमें तमिलनाडु की 1,670 पीएमईजीपी इकाइयों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 28,200 पीएमईजीपी लाभार्थी इकाइयां और 2,800 गैर-लाभार्थी उद्यम शामिल थे। अधिकांश पीएमईजीपी इकाइयों ने वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में औसत वार्षिक आय में वृद्धि तथा धनात्मक लाभप्रदता की सूचना दी है।

(ग) स्कीम के प्रारंभ से अब तक, कर्नाटक राज्य में 55,430 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानतः 498,870 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

(ङ) कर्नाटक राज्य के चामराजनगर और मैसूर जिलों सहित देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

ii. आकांक्षी जिलों तथा ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल कर उन्हें उच्च सहायता हेतु पात्र बनाया गया।

iii. संभावनाशील लाभार्थियों को यथासमय सहायता और पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं।

iv. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई 1,000 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मॉडल पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

v. दूरदराज क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तथा वीडियो क्लिप का प्रसार किया जा रहा है।

vi. एमएसएमई को ऋण देने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा संपार्श्विक सिक्योरिटी पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषक बैंकों से कहा गया है कि वे इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करें।

vii. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् केवीआईसी, केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), राज्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

viii. संभावनाशील लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कमतर-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ix. संभावनाशील उद्यमियों को पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जागरूक करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमईजीपी के अंतर्गत इसके प्रारंभ अर्थात् वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संवितरित एवं उपयोग की गई मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)
1	अंडमान निकोबार	26.35
2	आंध्र प्रदेश	1,520.22
3	अरुणाचल प्रदेश	99.41
4	असम	901.85
5	बिहार	1,473.62
6	चंडीगढ़	8.42
7	छत्तीसगढ़	798.35
8	दिल्ली	32.36
9	गोवा	34.85
10	गुजरात*	2,539.35
11	हरियाणा	689.74
12	हिमाचल प्रदेश	420.38
13	जम्मू कश्मीर	2,149.71
14	झारखंड	593.48
15	कर्नाटक	1,604.15
16	केरल	768
17	लद्दाख	47.98
18	लक्षद्वीप	1.1
19	मध्य प्रदेश	1,727.60
20	महाराष्ट्र**	1,564.60
21	मणिपुर	285.28
22	मेघालय	165.37
23	मिजोरम	171.26
24	नागालैंड	299.38
25	ओडिशा	1,197.66
26	पुदुचेरी	16.17
27	पंजाब	746.71
28	राजस्थान	1,178.46
29	सिक्किम	44.2
30	तमिलनाडु	1,857.70
31	तेलंगाना	817.3
32	त्रिपुरा	314.01
33	उत्तर प्रदेश	3,921.99
34	उत्तराखंड	461.12
35	पश्चिम बंगाल	1,145.28

**दमण और दीव सहित **दादरा और नगर हवेली सहित*